**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1212**

**उत्तर देने की तारीखः 20.12.2018**

**शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अनुपालन**

**1212. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश में करीब 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,

2009 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं कि उस राज्य

के सभी प्राथमिक स्कूल इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करें क्योंकि इन स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय तथा अन्य सहायता मिल रही है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में अधिकांश सरकारी प्राथमिक स्कूल आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में सभी मौसम के अनुकूल भवनों का प्रावधान है, जिनमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक शिक्षण-कक्ष, बाधा-मुक्त पहुंच, लड़कियों एवं लड़कों के लिए पृथक शौचालय, जल सुविधा, स्कूलों में एक रसोईघर जिसमें मध्याह्न भोजन पकाया जाता है, खेल का मैदान और चाहरदीवारी शामिल हैं। आरटीई अधिनियम राज्यों द्वारा उनकी अधिसूचित आरटीई नियमावली के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

 आंध्र प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों की आरटीई अधिनियम के अनुपालन की स्थिति संलग्न है।

(ग): केन्द्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में राज्य की सहायता हेतु साधन के रूप में नामित किया गया था। वर्ष 2001 में एसएसए की शुरूआत से अब तक आंध्र प्रदेश को 4,455 नए प्राथमिक स्कूल खोलने तथा 70,204 अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों, 7,143 पेयजल सुविधाओं और 36,906 स्कूल शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। राज्य ने दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार 4,453 नए प्राथमिक स्कूल खोले जाने तथा 69,795 अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों, 6895 पेयजल सुविधाओं और 36,680 स्कूल शौचालयों के निर्माण की सूचना दी है।

मंत्रालय प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्य के ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करता है, जिसमें अंतरालों को भरने के लिए तथा आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में स्वीकार्यता तथा औचित्य के अनुसार शौचालयों, अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों, पेयजल सुविधाओं, रैम्प और पुस्तकालय आदि का निर्माण अपेक्षित हो।

 अब एसएसए का अन्य दो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) तथा अध्यापक शिक्षा (टीई) के साथ समग्र शिक्षा नामक नई योजना में विलय कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल, 2018 से देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कूल-पूर्व से कक्षा-XII तक विस्तारित स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए व्यापक कार्यक्रम है तथा इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अनुपालन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वि॰ विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 20.12.2018 को राज्य सभा में पूछे जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं. 1212 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

|  |
| --- |
| **आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश में सुविधाओं की कमी वाले प्राथमिक स्कूल** |
| **जिलों का नाम** | **स्कूलों का प्रतिशत जिनमें ये सुविधाएं नहीं है** |
| **लड़कियों के शौचालय** | **लड़कों के शौचालय** | **पीने का पानी** | **रैंप** | **चाहरदीवारी** | **खेल के मैदान की सुविधा** | **पुस्तकालय** |
| अनन्तपुर | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 69.2 | 28.0 | 60.4 | 4.42 |
| चित्तूर | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 83.5 | 38.3 | 53.2 | 2.18 |
| पूर्व गोदावरी | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 75.0 | 38.4 | 36.1 | 3.53 |
| गुंटूर | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 82.2 | 38.9 | 39.8 | 5.48 |
| कडपा | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 77.9 | 34.8 | 53.0 | 5.03 |
| कृष्णा | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 70.3 | 32.8 | 35.4 | 4.38 |
| कुरनूल | 0.2 | 0.2 | 9.1 | 79.9 | 38.9 | 44.0 | 5.86 |
| नेल्लोर | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 72.0 | 30.4 | 41.7 | 4.03 |
| प्रकाशम | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 76.4 | 44.0 | 38.9 | 2.54 |
| श्रीकाकुलम | 0.7 | 0.6 | 7.4 | 64.5 | 51.7 | 52.2 | 3.84 |
| विशाखापत्तनम | 1.2 | 0.9 | 5.0 | 80.5 | 30.3 | 48.9 | 7.68 |
| विजियानगरम | 0.2 | 0.0 | 8.5 | 86.6 | 45.4 | 43.5 | 4.66 |
| पश्चिम गोदावरी | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 85.3 | 39.4 | 28.7 | 1.97 |
| **आंध्र कुल** | **0.3** | **0.2** | **5.2** | **77.20** | **37.3** | **44.5** | **4.25** |
| **स्रोत: यूडीआईएसई -2016-17 (अनंतिम)** |   |

\*\*\*\*\*\*\*